

हरिजनसेवक

दो आना

भाग १५

सम्पादक: किशोरलाल मशरूवाला

सह-सम्पादक: मगनभाऊ वेसाओ

अंक ३

मुद्रक और प्रकाशक
जीवंजी दाश्माभाऊ देसाओ
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद ९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १७ मार्च, १९५१

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

“शराब आमद समिति”

पिछले अंकमें हम अिस विचार पर आकर रुके थे कि लोगोंमें भी कुछ अंसे वर्ग हैं, जो शराबसे होनेवाली आमदनीका लोभ रखते हैं। लेकिन अनका यह लोभ कुछ दूसरे प्रकारका है। अिसकी जांच हमने बाकी रखी थी। यह जांच करनेसे पहले शराबकी आमदनीके बारेमें जो बात हमने पिछले अंकमें कही थी, अुसके सम्बन्धमें अेक प्रासंगिक विचार कर लेने जैसा है।

हम देख चुके हैं कि भारतकी सरकारें शराब वर्गेरा नशीली चीजेसे होनेवाली आमदनीको छोड़नेके लिये तैयार नहीं हैं। आजकी पैसेकी तंगीमें अितनी बड़ी रकम पुराने जमानेसे पड़े हुओं रास्ते पर चलकर आसानीसे मिल जाय तो कैसा अच्छा हो! अंसा करनेसे करोड़ों रुपये मिल सकते हैं।

यह अंसी-अच्छी बात है कि मुहमें पानी भी आ जाता है। अिससे प्रजा पर नये कर लगानेकी बदनामी भी टल सकती है। और खास बात तो यह है कि शिक्षित कहे जानेवाले वर्ग भी अिस तरहके कदमका साथ देनेके लिये तैयार मालूम होते हैं।

अिस तरहका लकीरके फकीर बने रहनेका मानसिक आलस्य नये स्वराज्यकी रचना करनेमें भयंकर माना जायगा। यह मानसिक आलस्य कैसेकैसे रूप लेता है, अिसका अेक अुदाहरण यहां देने जैसा है।

डॉ० राव दिल्ली युनिवर्सिटीके अर्थशास्त्रके मुख्य अध्यापक हैं। अुहोंने भारतके बजटके सम्बन्धमें भाषण देते हुओं कहा:

“कुछ राज्योंकी सरकारोंने शराबबन्दीकी नीतिका कड़ा अमल किया, अिससे अनुकी आमदमें करोड़ोंका घाटा हो गया। (कहां हुआ है? क्या अुहोंने नवी आमद नहीं की है? —८०) यह चीज अन सरकारोंके लिये ही नहीं, बल्कि केन्द्रीय सरकारके लिये भी चिन्ताका विषय है। क्योंकि केन्द्रीय सरकारको केन्द्रसे प्रान्तोंको रुपयेका कर्ज और मदद देनी पड़ती है।” अंसा कहकर वे आगे सुझाते हैं:

“केन्द्रीय सरकारको तुरन्त अिस बारेमें जांच करनी चाहिये और अिस सम्पूर्ण प्रश्नकी छानबीन कर देखनी चाहिये कि भारतमें शराबबन्दीका अर्थशास्त्र आर्थिक विकासकी दृष्टिसे कैसा माना जा सकता है। और अिस तरहकी जांच तो केन्द्रीय सरकार ही हाथमें ले सकती है। यदि अंसा हो और सम्पूर्ण प्रश्नका विचार बस्तुलक्षी और बुद्धियुक्त आधार पर हो, तो मेरा विश्वास है कि अुसमें से शराबबन्दीकी नीतिमें सुधार करनेकी बात खड़ी होगी; और पैसेकी तंगीमें कुछ राहत मिलेगी।....” (टाइम्स ऑफ बिंडिया, ५-३-'५१)

अंसे कुछ गलत विचार और हेतुसे मध्यप्रदेशकी सरकारने अेक समिति तयिकर की है, जिसके बारेमें अिस पत्रमें

कुछ समय पहले चर्चा हो चुकी है। डॉ० राव अब आगे बढ़कर अंसी प्रान्तीय जांचके बदले केन्द्रीय जांचकी मांग करते हैं। यह समझमें न आने जैसी बात है। शराबबन्दीका विषय प्रान्तीय है; शराबकी सारी आमदनी प्रान्तकी होती है। अिस सीधी बातको छोड़कर डॉ० राव यह थोथी दलील देते हैं कि प्रान्तोंकी शराबकी आय खत्म हो जानेसे केन्द्रीय सरकार पर भी अुसका असर पड़ता है, और अिस तरह शराबकी आयके साथ वे केन्द्रीय सरकारका सम्बन्ध जोड़ते हैं। अिसमें क्या कारण हो सकता है? कहीं केन्द्रीय सरकार और पंडित जवाहरलाल ने हरूका भत जानकर तो वे अंसा नहीं कहते? वर्ना अिस प्रश्नमें केन्द्रीय सरकारके पड़नेकी जरूरत ही नहीं है। शराबबन्दीके लिये विधानका जो आदेश है, वह केन्द्रीय सरकारको भी अवश्य मान्य होना चाहिये। अिसलिये जो प्रान्त शराबबन्दीका अधिनादारीसे प्रयत्न करें, अुन्हें मदद करना केन्द्रीय सरकारका फर्ज है। मदद करना तो दूर रहा, अुलटे यहां तो शराबकी आमदनी फिरसे पानेके लिये जांच-समिति नियुक्त करनेकी बात हो रही है! विधानके अनुसार केन्द्रीय सरकार या कोवी प्रान्तीय सरकार अंसी समिति नियुक्त नहीं कर सकती।

लेकिन यहां दूसरा प्रश्न भी है। डॉ० राव अेक अर्थशास्त्रीके नाते बोलते मालूम होते हैं। अंसे विशेषज्ञ बहुत बार अेक साधारण भूल यह कर बैठते हैं कि वे अपने क्षेत्रसे बाहर दौड़ जाते हैं। डॉ० रावने अंसी ही भूल की है। शराबबन्दी भारत सरकारकी अेक निश्चित राजनीति है; अुस पर अमल करना अुसका वैधानिक कर्तव्य है। यह नीति किसी अर्थशास्त्रीके तथाकथित ‘वस्तुलक्षी’ या बुद्धियुक्त आधार पर नहीं खड़ी है। वह अिस देशकी सरकारकी मूलनीतिका सिद्धान्त है। अिसलिये शराबसे आमदनी प्राप्त करनेकी मेली दृष्टि छूटनी चाहिये। अेक खास विद्याके विशेषज्ञके रूपमें अर्थशास्त्री अिस नीतिको स्वीकार करके चल सकते हैं; और यदि अुन्हें अपनी अिस विद्याका अच्छा ज्ञान हो, तो अुन्हें अिसके रास्ते खाज निकालने चाहिये कि आमदनी घटनकी स्थितिमें भी सरकार कैसे योग्यतापूर्वक दूसरे अुपायोंसे आमदनी कर सकती है। अभी तक अंसे दो रास्ते खोजे गये हैं और वे अमलमें ठीक साबित हुए हैं। वे हैं जायदाद-कर और बिक्री-कर। अिनके बारमें हमने पिछली बार चर्चा की थी। अिसी तरह आमदनी बढ़ानेका कोवी दूसरा सफल और निर्देष रास्ता मिले तो बता सकते हैं। अिसमें केवल काल्पनिक बातें नहीं, चल सकतीं। संभव है अुनके पास अंसा कोवी मार्ग बतानेको न हो। न हो तो वे नम्रतासे अंसा कह दें; अिसीमें अुनकी विद्याकी शोभा है। लेकिन अुसके बदले निश्चित शासननीतिको भूलकर बातें करनेमें अर्थशास्त्र नहीं है। फिर भी यदि वे करें तो वह हमारे देशके हितकी अेक निश्चित नीतिमें गड़बड़ी पैदा करने या करानेकी बात होगी। विशेषज्ञ अपनी विद्याके नाम पर अंसा करें तो वह ठीक नहीं। शराबबन्दीका आधार

पूर्णतया वस्तुलक्षी और बुद्धियुक्त है। सच पूछा जाय तो शराबसे होनेवाली आमदनीका आधार डगमगाता और बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाला है। डॉ० राव जैसे विद्वान् यदि विसे न समझें तो यह दुखकी बात होगी। केन्द्रीय सरकारका रुख देखकर अगर अंसी बातें कही जाती हों, तो अुसमें एक तरहकी अवसरवादी गैरजिम्मेदारी भी हो सकती है। देशके नयेनये मिले हुओ स्वराज्यको हम विस तरह खतरेमें न डालें।

७-३-'५१

(गुजरातीसे)

मगनभाऊ देसाओ

अन्धका अुत्पादन बढ़ानेकी ओक योजना

भारतमें अन्धकी तंत्रीकी समस्या दिनोंदिन ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। विस साल अनाजके बारेमें स्वावलम्बी बननेके बदले भारतीय जनताको रेशनमें २५ प्रतिशतकी कमी सहन करनी पड़ रही है और विदेशोंमें अनाजकी भीख मांगनी पड़ रही है। दुर्भाग्यसे विसके सही आंकड़े अुपलब्ध नहीं हैं कि देशमें अनाजकी निश्चित कमी कितनी है। यहां तक कि देशके कुछ अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि हमारे यहां अनाजको बिलकुल कमी नहीं है और आजकी कठिनायियां मुख्यतः समाजविरोधी तत्त्वों द्वारा पैदा की हुओ अनाजकी कृत्रिम कमीके कारण हैं। जो लोग विस मतको स्वीकार नहीं करते, वे भी आम तौर पर यह तो मानते हैं कि अनाजकी सच्ची कमी लगभग १० प्रतिशतसे ज्यादा नहीं है। बेशक, यह कमी वितनी बड़ी असाधारण नहीं है, विसके कारण सरकार और जनताको वितनी चिन्ता करनेकी जरूरत हो। गोदामोंमें अनाजको सुरक्षित रखनेका ज्यादा अच्छा वितजाम करके, सिंचाओंके सुभीते पैदा करके, पड़ती जमीनको खेतीके लायक बनाकर, अन्धकी बरबादीको रोककर, और घटिया लेकिन खाने लायक तथा आम तौर पर अुपेक्षित अनाजोंका अुपयोग करके अब तकमें अनाजकी सालाना कमी पूरी हो जानी चाहिये थी। विस घ्येयको प्राप्त करनेमें असफल रहना सचमुच भारत सरकारकी अुस बुनियादी नीतिकी दुखद टीका है, जिसका वह जनताके विरोध करने पर भी अनुकरण कर रही है।

मैं दिलसे यह महसूस करता हूं कि आजकी लेवी-वसूलीका तरीका बुनियादी तौर पर गलत है। भारतके अधिकतर राज्योंमें किसानोंको अपनी पैदावारका एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य लेवी-वसूलीकी पद्धतिके कारण छोड़ देना पड़ता है; और सरकार जिन भावों पर किसानोंसे यह अनाज लेती है, वे 'खुले बाजार' या 'कालेबाजार' के भावोंसे काफी नीचे होते हैं। स्वभावतः किसान विस तरहकी वसूलीका विरोध करते हैं और अुनमें अन्धकी पैदावार ज्यादासे ज्यादा बढ़ानेके लिये 'कोओ अुत्साह और अुमंग नहीं रह जाती। वे अपनी जमीनमें अनाजकी फसल पैदा करनेके बदले पैसा देनेवाली फसलें पैदा करते हैं, जो अपेक्षाकृत अच्छे भावोंके कारण ज्यादा आय देती हैं। विसके अलावा, वे अनाज वसूल करनेवालोंको धोखा देने और कालाबाजारियोंको अपना अनाज बेचनेकी कला सीख लेते हैं। मध्यप्रदेशमें सरकार व्यापारियोंके जरिये अप्रत्यक्ष रूपसे अनाज वसूल करती है। लेकिन अंकन्दर विसका नतीजा आविरकार वही होता है। अुत्पादनका स्तर गिरता दिखायी दे रहा है, क्योंकि किसान और कारखानेदार दोनों चारों तरफ कण्ठोलोंसे विरी हुओ आजकी पद्धतिमें आर्थिक प्रेरणाका कोओ प्रकाश महसूस नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन जैसे जाग्रत और प्रगतिशील देशमें भी यहीं हुआ है। विसलिये भारत जैसे गरीब देशमें किसानोंसे केवल देशभवित और त्यागकी अपीलें सुनकर अनाजका अुत्पादन बढ़ानेकी आशा नहीं रखी जा सकती। 'अधिक अन्ध अुपजाओ आन्दोलन' को व्यावहारिक रूप देकर सफल बनानेसे पहले लोगोंको अुचित आर्थिक प्रेरणा देनेकी जरूरत महसूस की जानी चाहिये।

यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है? विसके लिये मैं यहां अेक निश्चित और ठोस सुझाव रखना चाहता हूं। सरकारको लेवी-वसूलीकी भौजूदा नीति छोड़कर खुले बाजारोंकी और नियंत्रित भावोंसे सीमित रेशन देनेकी पद्धति चालू करनी चाहिये। सरकार सिर्फ अुन्हीं लोगोंको सस्ता रेशन देनेकी व्यवस्था करे, जो दर असल 'खुले बाजार' के भावों पर खाद्य वस्तुओं नहीं खरीद सकते। अुदाहरणके लिये, २०० रुपयेसे कम माहवार कमानेवालोंको विस श्रेणीमें माना जा सकता है। अलबत्ता, हर प्रदेशमें यह आंकड़ा बदलेगा। सरकार रेशनकी दुकानोंमें मिलनेवाले अनाजोंके तफसीलवार भाव भी हर महीने प्रकाशित कर सकती है। ये भाव आमदनीके विभिन्न स्तरों और खरीदी जानेवाली मात्राके आधार पर बदल सकते हैं। विसके अलावा, सरकारी दुकानोंमें केवल मोटा लेकिन साफ अनाज (यानी दूसरे या तीसरे दर्जेका लेकिन सड़ा हुआ या कंकर-मिट्टी वर्गी मिला हुआ नहीं) ही दिया जाय। विस जिम्मेदारीको अदा करनेके लिये सरकार नीचे भावों पर अनाज वसूल करनेके बजाय अुसे स्वतंत्र या खुले बाजारमें खरीदे और रेशनकी दुकानों पर सस्ते भावोंमें बेचे। विस तरह सरकारको जो नुकसान होगा, वह अुसकी तरफसे दी हुओ आर्थिक सहायता मानी जाय। आज भी विदेशोंसे जो अनाज मंगाया जाता है, अुस पर सरकार विस तरहकी सहायतां देती है। यह पैसा देशके बाहर चला जाता है, और देशके गरीब किसानोंको सरकारी खजानेसे किये जानेवाले विस अतिरिक्त खर्चसे कोओ लाभ नहीं मिलता। विसके बदले, सरकारको चाहिये कि वह हमारे ही किसानोंसे खरीदे हुओ अनाज पर औसी सहायता दे और खेदोंमें दिन-रात महनत करनेवाले किसानोंको यह महसूस करने दे कि वे जमीन पर की हुओ अपनी कड़ी मेहनतका पूरा फल पा सकते हैं। सरकारका यह फर्ज होगा कि वह शहरोंमें, खास करके अनाजकी कमीवाले हिस्सोंमें, सस्ती रेशनकी दुकानोंका अुचित प्रबन्ध करे; ग्राम्य प्रदेशोंमें केवल बिना जमीनवाले मजदूरोंको ही विन सुविधाओंसे लाभ अुठाने दिया जाय। शहरों और गांवोंके बाकी लोगोंको अपनी जरूरतका अनाज खुले बाजारसे खरीदनेकी छूट रहे। विस योजनासे कभी स्पष्ट लाभ होंगे। पहला, 'काले बाजार' का कलंक और अुससे पैदा होनेवाले नैतिक पतनका कुचक अपने आप मिट जायगा। दूसरा, आर्थिक सहायताके रूपमें राज्य जो रकम खर्च करेगा, वसूल काफी हिस्सा वह बिक्री-कर और क्रमिक आय-करकी अनुकूल पद्धति द्वारा पुनः प्राप्त कर सकेगा; ये कर अुन व्यापारियोंसे लिये जायेंगे, जो खुले या स्वतंत्र बाजारमें अनाजका व्यापार कर सकेंगे। तीसरा, बाजारमें अच्छे दाम मिलनेके कारण किसानोंको अनाजकी पैदावार बढ़ानेका प्रोत्साहन मिलेगा। चौथा, समाजके ज्यादा गरीब वर्गोंको नियंत्रित भावों पर रेशन मिलता रहेगा और खुशहाल लोगोंको आजके 'काले बाजार' के बदले 'सफेद' बाजारसे खाद्य पदार्थ खरीदनेका सन्तोष मिलेगा।

विस योजनाके सुझानेमें मैं कोओ भौलिकताका दावा नहीं करता। पिछले साल अपने युरोपके दौरेमें मैंने जेकोस्लोवाकियामें औसी योजनाको सफलतासे काम करते देखा है। गरीब लोगोंके लिये खोली हुओ कुछ सस्ती और सरकारी सहायता पानेवाली रेशनकी दुकानोंके साथ-साथ खुले बाजारके होनेसे देशसे कालाबाजारका खातमा हो गया था और राज्य खुले बाजारके व्यापार पर लगाये गये बिक्री-कर और आयकरसे काफी मात्रामें सरकारी खजानेको 'बढ़ा सका था। मैं कोओ कारण नहीं देखता कि भारतमें भी औसा प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता?

विस योजनाके खिलाफ पहला बेतराज यह अुठाया जा सकता है कि अनाजोंके अूचे भाव फिरसे मुद्रा-प्रसारके चक्रको गति दे देंगे। लेकिन विस कारणसे डरनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार समाजके ज्यादा गरीब वर्गोंको सस्ते भावसे अनाज बेचकर मुद्रा-प्रसारको दौक

सकेगी और मजदूरीके दरोंमें बृद्धि करनेका भी कोई कारण नहीं रहेगा। यिसके अलावा, अनाजोंके अूचे भाव तो आज भी हैं ही। यिस नवी योजनासे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, वह यह है कि कालेबाजारकी जगह खुले बाजारमें अनाजका व्यापार होगा, जिससे कर लगाने योग्य अतिरिक्त आय होगी। सरकार दूसरे दो तरीकोंसे भी संभावित भुद्वा-प्रसारको रोक सकती है। पहला, किसानोंको अनुकी पैदावारकी पूरी कीमत नकद चुकानेकी जरूरत नहीं; कीमत चुकाते समय राज्य किसानोंको सोना और चांदी देकर भी ज्यादा अनाज पैदा करनेकी प्रेरणा दे सकती है। आज भी किसान अपने पैसेको गहनोंके रूपमें बदल डालते हैं, लेकिन ग्रामवासियोंकी जरूरतोंका नाजायज फायदा अुठाकर दलाल खुब नफा कमाते हैं। गरीब किसान सचमुच सरकारका आभार मानेगा, अगर वह सस्ते भावों पर सोना और चांदी पा सके। दूसरा, किसानोंको अनाजकी पूरी कीमत नकद या सोने-चांदीके रूपमें चुकानेके बजाय सरकार अनुको दिये जानेवाले पैसेका कुछ भाग ज्यादा अच्छे मकान, सहकारी खेती और खरीद-बिक्री जैसी सामूहिक कल्याणकी योजनाओंमें लगा सकती है। किसानोंकी सम्मतिसे अनुन्हें अंसी सहकारी समितियोंके शेयर दिये जा सकते हैं। यिससे लोगोंको यह अंतराज करनेका भी मौका नहीं मिलेगा कि गांववालोंके हाथमें अधिक क्रयशक्तिके आ जानेसे वे नशीली चीजों और बरबादी भरी सामाजिक और धार्मिक विधियोंमें अुसका दुर्घयोग करें।

यिस योजनाके विश्वद्व कुछ अर्थशास्त्रियोंकी दूसरी दलील यह है कि अनपढ़ किसान अभी आर्थिक लाभसे प्रोत्साहित होनेके अभ्यस्त नहीं हुए हैं। अगर वे अपनी खेतीकी पैदावारसे ज्यादा कमाओ कर सकें, तो संभव है वे अपनी पूरी जमीन जोतनेकी भी परवाह नहीं करें। अनुकी शंका यह है कि किसानोंको अनुकी पैदावारकी प्रेरणा देनेके बजाय संभव है आखिरमें कम पैदा करनेकी प्रेरणाका रूप ले ले। मेरे विचारसे यिसमें कोई विवेक नहीं है और यह आम जनताकी मौजूदा मनोवृत्तिका सम्पूर्ण अज्ञान प्रगट करता है। आजका औसत ग्रामीण बुद्धिमान व्यक्ति है, जो आधुनिक समाजमें पाजी जानेवाली आर्थिक प्रेरणासे आसानीसे लाभ अुठाता है।

अेक बात और है। लेवी-वसूलीकी जगह सरकार जमीनका भाड़ा और लगान अनाजके रूपमें वसूल कर सकती है, जो नियन्त्रित भावसे किसानोंसे लिया जाय। लेकिन आज अनाज संग्रह करनेकी क्षमताका और सरकारी अधिकारियोंकी अधिनादारीका जो स्तर है, अुसको देखते हुए शायद यह तरीका सफल न हो। यह तरीका राष्ट्रीय संकटके समय ही अपनाया जा सकता है, जब रेशनकी दुकानोंके लिये अनाजका संग्रह करना निहायत जरूरी हो जाय।

अन्तमें, मैं यह नहीं सुझाना चाहता कि लेवी-वसूलीका मौजूदा तरीका बदलने मात्रसे भारतकी अन्न समस्या अपने आप हल हो जायगी और किसानोंके ज्यादा अनाज पैदा करनेके प्रयत्नसे अनाजकी कमी पूरी हो जायगी। यिसके बाद भी ज्यादा अच्छा बीज, सिंचावीकी सुविधाओं, खाद्य, ढोर और खेतीके औजार वर्गराकी दूसरी सब योजनायें जरूरी रहेंगी। लेकिन यिसमें मुझे कोई शक नहीं कि लेवी-वसूलीका आजका तरीका छोड़ देनेसे ज्यादा अनाज पैदा करनेके रास्तेमें खड़ी अेक बहुत बड़ी रुकावट निश्चित रूपसे दूर हो जायगी।

यह योजना मैं संघकी सरकार, राज्योंकी सरकारों और राष्ट्रीय नियोजन कमीशनके सामने गंभीर विचारके लिये पेश करता है। आशा है अनुन्हें यह आजमाने लायक मालूम होगी।

वर्षा, २०-२१
(अंग्रेजीसे)

श्रीमन्नारायण अग्रवाल

लोक-सम्पत्तिका आदर्श रक्षक

स्वर्गीय श्री ठक्कर बापाको जिन लोगोंको अनुके सम्पर्कमें आनेका सौभाग्य मिला, अन सबने बड़ी हार्दिक श्रद्धांजलियां दी हैं। मैं यिसे अपना गौरव मानता हूँ कि मैं अनुकी कुछेक संस्थाओंका आडीटर (लैखा-निरीक्षक) था। अपने पूरे कार्यकालमें अनुन्हेंने कभी भी, अप्रत्यक्ष ढंगसे ही क्यों न हो, मुझसे न तो संस्थाओंके कामकी कमियां या गलतियां कम करके दिखानेके लिये कहा और न अनुकूल रिपोर्ट लिखनेके लिये ही। अलटे, जहां कहीं गलतियां हो गयी हों, वहां अपना काम सुधारनेकी दृष्टिसे वे हमेशा न्याय और प्रामाणिक आलोचनासे खुश ही होते थे। यदि कभी जरूरत होती तो मेरी रिपोर्टकी चर्चा करनेके लिये वे मुझे खास समय देते थे; तब सारी रिपोर्टका अेक अेक पैरा, अेक अेक वाक्य पढ़ जाते, और वे अपने कर्मचारियोंसे रिपोर्टके आक्षेपोंका जबाब देनेके लिये और अुसकी सूचनाओं पर विचार करनेके लिये कहते। जब तक वे मेरा, और किसी भी बाहरी निरीक्षकसे ज्यादा सावधान अपनी अन्तरात्माका समाधान न कर लेते, तब तक अनुन्हें चैन नहीं मिलता था।

अनुकी सचाओ, कर्तव्यके प्रति अनुकी पूरी निष्ठा, शिस्त-पालन, कामकी व्यवस्था और हिसाब-किताबमें सावधानी आदि अनुके अनेक गुण अनुके सहकारियों और दूसरे कर्मचारियोंके लिये पदार्थ-पाठकी तरह हैं। हरिजन सेवक संघके भवनमें जाता, तो मंदिरमें जानेसे जितना मिलता है, अुससे भी अधिक आनन्द मुझे मिलता। अनुके सहवाससे वही लाभ होता जो किसी व्यावहारिक ज्ञानीके चरणोंमें बैठनेसे होता है और अनुसे बातचीत करना मानो अनुके ज्ञान और अनुभवका अमृत पीना था। अनुसे ज्यादा अुत्साह, सचाओ और अपने अुपेक्षित 'बालकों'के साथ परिपूर्ण अेकरसता मैंने किसी औरमें नहीं देखी। संस्थाकी पाओ-पाओ संभालकर रखी जाय, खर्च की जाय, और प्रत्येक हितकी पूरी रक्षा हो, यिसका वे जितना आग्रह रखते, अुतना मैंने किसी दूसरेमें नहीं पाया। कओ संस्थाओं और समितियोंमें पदाधिकारियोंके व्यवहार अुतना साफ-स्वच्छ नहीं होता, जितना जनता अनुसे रखनेकी आशा करती है। कओ संस्थाओंमें तो कार्यकर्ता अपने पवित्र द्रुस्टके प्रति गुनाहकी हृद तक लापरवाह होते हैं, अपने पदका अनुचित लाभ अुठाते हैं, और अपने स्वार्थके लिये अपने अधिकारियोंका दुरुपयोग करते हैं। पदाधिकारी जैसे होते हैं, वैसे ही मातहत कर्मचारी भी, क्योंकि बेबीमानी और भष्टाचारकी गति पानीकी तरह अूपरसे नीचेकी ओर होती है। अगर पदाधिकारी बेबीमान हों, तो कर्मचारी अीमानदार नहीं हो सकते।

कर्म और वचनमें अनुका अनुसरण करके और अनुके जीवन-कार्यको जारी रखकर और लगातार बढ़ाकर ही अनुकी पावन आत्माको हम बड़ीसे बड़ी श्रद्धांजलि और अधिकसे अधिक सन्तोष दे सकते हैं। हमें अनुका यह काम अुसी निर्मल प्रामाणिकतासे करना चाहिये, जो अनुके जीवन और कार्योंमें सोलह कलाओंमें अतरी थी।

दिल्ली

(अंग्रेजीसे)

जगदीशप्रसाद

सच्ची शिक्षा

ले० — गांधीजी

अनु० — रामनारायण चौधरी

यिस पुस्तकमें शिक्षाका स्वरूप, आदर्श, माझ्यम वगैरा आजके शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नोंका अुत्तर गांधीजीके शब्दोंमें पाठकोंको मिलेगा। कीमत २-८-०

दाकखाल ०-१०-०

नवजीवन प्रकाशन मंसिर, अहमदाबाद - १

हरिजनसेवक

१७ मार्च

१९५१

हाथ-अद्योग और यंत्र-अद्योगोंका मेल - १

“हैरिस” का पट्टू और खादी

एक ब्रिटिश पत्र-लेखिकाने मेरे पास ‘हैरिस ट्वीड’ नामके बूनी कपड़ेका तमूना भेजा है। (यह कपड़ा काश्मीरी पट्टू जैसा है, पर रंग और डिजाइनमें अुससे अलग है) और साथमें अन्होंने यह सवाल पूछा कि क्या है:

“पता नहीं साथमें जो चीज भेज रही हैं असमें आपके पहचानवाले किसीकी दिलचस्पी होगी या नहीं।” यिस कपड़ेको ‘हैरिस ट्वीड’ कहते हैं और यह स्काटलैण्डके वायव्यमें हेन्रिडिस नामके द्वीपपंजसे आता है। यह तमूना पिछली ठण्डमें अटलांटिक सागरके एक छोटे द्वीप ‘स्कार्प’की किसी स्त्रीने स्थानीय अुससे काता था और बादमें हैरिस द्वीपमें सामान्य हाथ-करघेपर बुना गया था। रंग तो आजकल रासायनिक ही होते हैं, अलबत्ता स्वाभाविक रंगोंको छोड़कर। यिस द्वीपोंमें दो ही अद्योग हैं—मछली मारना और अपनी अुपजका अून बुनना। कातना तो अब प्रायः बन्द है। सिर्फ कुछ बूढ़ी स्त्रियां कातती हैं, बाकी लोग तो अुसे स्थानीय मिलोंमें ही धुनवाते और कतवाते हैं। मिलोंसे जब वह वापिस आता है, तो पुरुष अुसे हाथ-करघोंपर बुन लेते हैं। स्त्रियां अपना कातना जारी रखें, यिसकी कोशिश अब नाकामयाब मालूम होती है; क्योंकि अैसा कातना आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक नहीं है, असमें आवश्यक कमाओ नहीं होती। यह एक लाचारी है, नहीं तो यहां ठण्डके लम्बे मीसममें जब दिन बहुत छोटा और अंधेरा ज्यादा होता है यह एक बड़ा अुपयोगी और दिलचस्प अद्योग होता। अैसे मीसममें, ठीक कामके अभावमें लोगोंका जी भारी हो जाता है और कभी तो यिससे ग्लानिकी बीमारीके शिकार हो जाते हैं।

“आप ‘हरिजन’में हाथ-कताबीके सवालोंकी चर्चा करते रहते हैं। यिस द्वीपोंकी परिस्थितिके प्रसंगमें मुझे अुस चर्चामें रस आता है। हाथ-कताबी परवड़ती नहीं, आर्थिक दृष्टिसे वह लाभप्रद नहीं है, यिस आरोपका मैं जानना चाहूँगी आप क्या जवाब देते हैं; क्योंकि मुझे लगता है कि यहांकी मनोवृत्तिके अनुकूल अुसका कुछ रूपान्तर कर लेने पर वह यहांके लिये भी अुपयोगी होगा। मैं बहुत चाहती हूँ कि कोई विज्ञ पुरुष यिस सवालका सही हल दे, और यह परम्परा मरे नहीं।”

यिस द्वीपोंके निवासियोंका सवाल हमारे हाथ-कताबी और हाथ-बुनाओं करनेवालों जैसा ही है। अुनका सवाल बहुत छोटा है, हमारा देश-व्यापी है और किसी अेक ही अद्योग तक महदूर नहीं बत्तिक अनेक अद्योगोंसे ताल्लुक रखता है।

हम जानते हैं कि कताबी आजकल प्रायः सारी-की सारी मिलोंमें ही होती है। गांधीजीने जब कताबीका आन्दोलन चलाया, अुस समय हमारे देशके अधिकांश हिस्सोंमें यह चीज बिलकुल मर चुकी थी; यहां तक कि बम्बली राज्यमें गांधीजीकी अुप्रका व्यक्ति भी नहीं जानता था कि चरखा होता कैसा है। गांधीजीने बड़ी दौड़-धूप की, तब कहीं गुजरातसे अुन्हें अेकदो नमूने भिले, और कुछ बूढ़ी स्त्रियोंका पता लगा जिन्होंने कभी चरखा काता था।

हाथ-करघेकी बुनाओंकी बात अैसी नहीं है। वह आज भी जैसे-तैसे चलती है। अगरने तरक्की पर नहीं है। करघेके लिये पर्याप्त सूत मिलोंमें हमेशा कठिनाओं रही है, और हर साल अुनकी संख्या कम ही होती चली गयी है।

गांधीजी यिस नतीजे पर पहुँचे थे कि यदि हाथ-कताबीको छोड़ दिया गया, तो कालान्तरमें हाथ-बुनाओं भी मर जायगी। क्योंकि कताबीके बारेमें वह सस्ती नहीं है, आदि जो आर्थिक कारण दिये जाते हैं वे बुनाओंके बारेमें भी बताये जा सकते हैं। जब तक मिल-मालिकोंको अपना सूत अपनी मिलोंमें ही बुनना लाभप्रद मालूम होता है, और जब तक ग्राहक के बल सस्तेपनका ही खायल करते हैं, तब तक बुनकरोंको मिलोंसे पर्याप्त सूत नहीं मिलेगा और न वे मिल-कपड़ेकी कीमतकी ही होड़ कर सकेंगे। यिसलिये यदि हाथ-करघेको कायम रखना है, तो हाथ-कताबीको पुनः जीवित करना ही पड़ेगा।

यिसके सिवा, कताबी तो शहरकी मिलोंमें ही और बुनाओं गांवोंमें हाथ-करघोंपर, यिस पद्धतिमें ही दोष है। देहात कपास पैदा करें, बिनीलेसे अुसे अलगाव्यकरें, गांठोंमें बांधें और शहरोंमें भेजें। फिर शहरमें वे गांठें खोली जायें, बांधी हुजी रुजी दुबारा फैलाओ जाय, धुनकी जाय, अुसकी पूनीयां बनाओ जायें और अुसे काता जाय। और तब फिर यिस सूतको पुनः गांठोंमें बांधा जाय और गांवोंमें भेजकर अुसका वितरण किया जाय। वहां हाथ-करघोंपर जब अुसे बुन लिया जाय, तब तीसरी बार अुसका अधिकांश हिस्सा बिकनेके लिये शहरोंको रवाना किया जाय। यह लानेले जानेकी सारी मेहनत और खर्च बेकार है, और तभी तक चल सकता है जब तक कि बुननेकी मिलोंकी संख्या काफी नहीं है। हाथकी बुनाओं तो हाथकी कताबीके साथ ही चल सकती है। हाथकी कताबी न रहे तो बुनाओं भी ज्यादा दिन नहीं ठहर सकती। दोनों मिल-कर भी नहीं ठहर सकतीं, यदि परिस्थिति अुन्हें मिलके अुसी किस्मके कपड़ेकी होड़ करनेके लिये भजबूर करे। तब असल जरूरत है दोनोंकी होड़ रोकनेकी।

होड़ न हो, यिसके संभव अुपाय ये हो सकते हैं:

(क) हाथ-कताबी और हाथ-बुनाओंपर सिर्फ अैसा कलापूर्ण और विशेष डिजाइनोंका माल तैयार किया जाय, जिसे कलाके आश्रयदाता मांगते हैं और जो मिलोंमें नहीं बन सकता। लेकिन यिसका यह अर्थ है कि हमारे समाजमें बड़ी-बड़ी सामाजिक और आर्थिक विषमताओं होंगी, और वे चलती रहेंगी। यिसके सिवा यिससे तो सिर्फ मुट्ठी भर कुशल कारीगरोंको काम मिलेगा। यिस हालतमें अैसा नहीं हो सकता कि हाथ-कताबी गांवके हरओंके घरका गृह-अद्योग बन जाय। गांवोंमें प्रचलित बड़ी बेकारी, गांवोंसे शहरोंमें जाने, गांवोंके खाली होते रहने और शहरोंके बेहद बढ़ते जानेकी प्रवृत्ति, आदि सवाल यिस तरह हल नहीं हो सकते।

(ख) लोग अुसे भावनावश आश्रय देते रहें और तात्त्विक, आध्यात्मिक और स्वावलम्बनकी दृष्टिसे महंगाओंका खयाल न करते हुजे अुसका अुत्पादन करते रहें। तथा सरकार भी बेकारी दूर करनेकी सीमा तक या अपना नाम करनेके लिये, चाहे अुसकी अुपयोगितामें अुसका विश्वास हो या न हो, अुसकी मदद करती रहे।

(ग) सरकार यह माने कि हाथ-कताबी, हाथ-बुनाओं तथा यिसी तरहके दूसरे ग्रामोद्योगों, और अुत्पादन तथा माल ढोनेके देहाती साधनोंकी व्यवस्था राष्ट्रियके रक्षाके लिये आवश्यक दूसरी कताखी तरह है। और अुसे भजबूर रखना है।

मेरा मत है कि यिस अन्तिम अुपायसे ही अुत्पादनके तथा माल ढोनेके विभिन्न तरीकोंमें चल रही होड़ दूर हो सकती है। अद्योगोंके यंत्रीकरण और आदमी कम करके खर्च घटानेकी प्रवृत्तिसे तथा सीमा पारसे बड़ी संख्यामें लोगोंके आ जानेसे जो बेकारी बड़ी है, वह भी यिसी तरह दूर हो सकती है। गांवोंकी खेतीकी अुश्रिति और ग्रामीण जीवनकी समृद्धिकी भी यही अेक रास्ता है। उभारतमें ये जीवन-मरणके सवाल हैं; हमें तो अुन्हें हल करना ही है। मुमकिन है कि दूसरे देशोंको अपनी छोटी अुलझानेमें

हमारी कोशिशोंसे कुछ मदद मिल जाय। जिन तत्त्वोंके आधार पर औसी कोशिश कामयाब हो सकती है, अनुकी छान-बीन में अगले लेखमें कऱुणा।

वर्धा, १-३-'५१
(अंग्रेजीसे)

कि० घ० मशरूवाला

सामूहिक खेतीके खिलाफ

श्री वालजीभाई देसाओं लिखते हैं:

“यह जानकर खेद हुआ है कि सामूहिक खेतीके लिये बड़े रहे वर्तमान पागलपनके शिकार आप भी हो गये। मुझे लगता है कि यदि आप जार्ज हेंडरसनकी लिखी और फेवर कं० द्वारा प्रकाशित ‘किसानकी अनुनाति’ (Farmer's Progress) पुस्तक पढ़ें, तो आपका खयाल बदल जायगा। अिस पुस्तक पर लिखते हुओं किसी समीक्षकने, ‘स्पेक्टेटर’ अखबारमें यह कहा है:

“आर्थिक दृष्टिसे अुपयुक्त किसी खेतका विस्तार ठीक क्या हो, अिसकी जांच-पड़ताल आजकल काफी जोरशोरसे हो रही है। खेतीके अर्थशास्त्री तो आवेशपूर्वक यह कहते हैं कि यह खेत, प्रेरी या रेंच जैसे बड़े मैदानोंकी तरह, अनेक अकड़ोंका होना चाहिये। औसी हालतके रहते हुओं यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि कोओं औसा भी है जो छोटी और मिश्र खेतीकी — जिसका सारा काम किसान और अुसका परिवार खुद कर लेता हो — हिमायत करता है, औसी छोटी खेतीको ही सबसे ज्यादा लाभदायी मानता है और अिसके पक्षमें अपने प्रत्यक्ष काम और अनुभवका प्रमाण भी देता है। अुक्त लेखककी राय है कि हरअेक खेत पर मवेशियोंके चार जूथ पालने चाहियें, और अन्हें करीब-करीब पूर्ण रूपमें खेतमें अुगाये हुओं घासचारे पर पुराने ढंगसे पोसना चाहिये।”

मनुष्यकी रहन-सहन और अुसके कामका ढंग आसपासकी परिस्थितियोंके अनुसार बदलता है। अपनी निजी खेतीकी जमीन और मवेशी होना, तथा अपने ही लाभके लिये काम करना, परम्पराका गहरा संस्कार मनुष्यके मन पर हर देशमें रहा है, और है। हम भी अुससे मुक्त नहीं हैं। सिर्फ तथाकथित जमींदार और पूंजी-पति ही जमींदार और पूंजीपति हैं, औसी बात नहीं। बेजमीन किसान, और पूंजीपतिका मुंशी और घरेलू नौकर भी मनसे अुसी श्रेणीमें हैं, कर्क जितना ही है कि अिनकी ये कामनायें अभी सुप्तावस्थामें हैं। हमारा यह विश्वास बन गया है कि जब तक वैयक्तिक संपत्ति और लाभकी प्रेरणा न हो, तब तक मेहनतसे काम करनेकी अिच्छा किसीको हो नहीं सकती। लेकिन तब सवाल यह अठता है कि किसी मनुष्यके पास कितनी संपत्ति हो और कितनी जमीन हो। आखिर, अुसकी कुछ सीमा तो होनी ही चाहिये। अिस सवालका अुत्तर यदि यह दिया जाय कि अुसकी कोओं मर्यादा तय करनेकी आवश्यकता नहीं है, तो पूंजीवाद, जमींदारी, राजाकी निरंकुश सत्ता, साम्राज्यवाद आदि व्यवस्थाओंका आना अनिवार्य हो जाता है और औसी व्यवस्थाओंका संचालन गुलामों और नौकरोंके द्वारा ही हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि किसी आदमीको सिर्फ अुतनी ही जमीन, पूंजी या अुत्पादनके साधन आदि रखने चाहियें, जितने वह अपनी मेहनतसे सभाल सके, अुससे अधिक नहीं, तो आर्थिक दृष्टिसे यह चीज व्यावहारिक नहीं सिद्ध होती। भारत और चीन जैसे घनी बस्तियोंके देशोंमें जमीन जितनी नहीं है कि हर आदमीको अलग-अलग बांट दी जाय, और फिर भी अितनी काफी हो कि अुससे अुसका निर्वाह हो जाय। यही बात संपत्तिके दूसरे रूपों और अुत्पादनके दूसरे साधनोंकी भी है। यदि आजकी प्रचलित पूंजीवादी या जमींदारी व्यवस्थाका फल यह हुआ है कि

अधिकांश जनताको जानवरों-जैसी असह्य परिस्थितियोंमें अपनी जिन्दगी वितानी पड़ रही है, तो अत्यधिक बंटवारेकी व्यवस्थाका फल भी कुछ अच्छा नहीं होगा; बल्कि वह अिससे बदतर होगा, तब और भी ज्यादा लोगोंको औसा असह्य जीवन विताना पड़ेगा। औसी व्यवस्था अपनी ही पैदा की हुओं कठिनाइयोंके बोझसे दबकर टूट जायगी, और तब जमींदारी या पूंजीवादका यह बुनियादी तत्त्व हम कायम रखते हैं कि वैयक्तिक स्वामित्व ही काम करनेका अुत्साह देता है। यह तत्त्व आध्यात्मिक दृष्टिसे ही दूषित है ही, लेकिन आजकी जीवन-परिस्थितियोंमें, जब जमीन और संपत्ति अितनी नहीं हैं कि लोग अलग-अलग रह सकें, और अपना निर्वाह बखूबी कर सकें, वह नैतिक दृष्टिसे भी गलत हो गया है।

आध्यात्मिक और नैतिक दोनों ही दृष्टिबन्दुओंसे आज हमारा यह कर्तव्य हो गया है कि हम वैयक्तिक लाभके हेतुसे मेहनतकी, महिमा समझना, और किसी विशेष खेत पर अपना स्वामित्व रखनेकी अभिलाषा छोड़ें। मेहनतके प्रति अेक अुच्चतर दृष्टि अपनानेकी आवश्यकता है। हिन्दुओंमें प्रचलित संयुक्त परिवार और कुलकी संस्था ज्यादा अुदार दृष्टिकोणको जन्म देती थी, हालांकि अुसका दायरा रक्त और वंशकी अेकताकी संकरी सीमा तक ही था। अिस विचारका यह दायरा अब हमें बढ़ाना चाहिये, और रक्तकी बनिस्वत ज्यादा विशाल सम्बन्धोंमें यह दृष्टि फैलाना चाहिये।

मैंने जिस खेतीकी प्रणालीकी सूचना की है, वह जिसे अकसर सामूहिक खेती कहा जाता है, वही नहीं है। मैंने अुसे खेतीका समाश्रय नाम दिया है। अुसे संयुक्त परिवारकी संयुक्त खेतीका अेक बढ़ाया हुआ रूप समझ सकते हैं, जिसमें अेक हृद तक व्यक्तियोंको खानगी लाभ भी रहेगा। यह पद्धति बहुत बड़े-बड़े खेतोंका आग्रह नहीं करती, पूरे गांवकी जमीन अेक संयुक्त खेतीकी तरह जोती-बोयी जाय, औसा भी नहीं चाहती। खेत कितना बड़ा हो, यह तो वहांकी जमीनके अुपजाबूपन पर निर्भर होगा। साधारणतः वह अितना बड़ा हो कि अुस पर २०-२५ परिवार मिलकर काम कर सकें।

गांधीजी बहुत सोच-विचारके बाद जिस नतीजे पर आये थे, और मेरी विस्तरे पूरी सहमति है, कि सिर्फ खेतीका धन्धा किसी आदमीके लिये, अुसके विकासकी दृष्टिसे, पूरा नहीं है, और विसलिये ठीक नहीं है। खेती, गो-पालन, और छोटे-छोटे अुद्योग, जिसके मेलसे व्यवसायकी जिकाओं बनाना चाहिये। अिसके सिवा, किसानके सम्पूर्ण विकासके लिये यह भी जरूरी है कि वह कोओं हाथका काम भी सीखे और करे। अिस समाश्रय पद्धतिकी हिमायत अिसलिये नहीं की गयी है कि यंत्रोंका अपयोग बड़े; अुसका अुद्देश्य सिर्फ यही है कि मनुष्य और मवेशीकी शक्तिका पूरा-पूरा अपयोग हो।

खेतीकी ही तरह, पशु-पालनके सम्बन्धमें भी कुछ लोगोंका यह खयाल है कि हर घरमें अेक गाय या भेंस होनी चाहिये। कुछने तो यहां तक कहा है कि गाय या भेंसका पालना हर किसानके लिये कानून द्वारा आवश्यक बना दिया जाय। यह सवाल अेक बार गांधीजीके समने छेड़ा गया था। श्रोताओंकी अुम्मीदके खिलाफ गांधीजीने यह राय दी कि वे हर घर या खेतमें गायों-बैलोंके बैसे अलग-अलग पालनके पक्षमें नहीं। गायें अलग-अलग आदमियोंकी हों, लेकिन गांव भरके सब ढोर अेक साथ रखे जायं और सबकी सामूहिक संभाल की जाय। वे डेरी (गो-शाला) के पक्षमें थे, डेरी-संस्था गो-पालनके क्षेत्रमें समाश्रय-पद्धतिका ही अदाहरण है। खेतीमें भी अिसी विचारका प्रयोग किया जाना चाहिये। तब तो हम अिस आदर्श पर पहुंचेंगे कि — ‘सबै भूमि गोपालकी’।

वर्धा, २७-२-'५१
(अंग्रेजीसे)

कि० घ० मशरूवाला

हिमालयके सबक — २

नीलकंठमें

नीलकंठमें लोगोंने वहांके केवल दो खानगी मकानोंमें से अेक मकान मेहरवानी करके अुपयोगके लिये हमें दे दिया। वे दोनों नेपालके राजपरिवारके थे। ये मकान आम तौर पर खाली ही रहते हैं; यिसका अनिवार्य परिणाम यह है कि वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूपसे जीर्ण-जीर्ण होते जा रहे हैं। मकानके दरवाजे और खिड़कियां जितनी सख्त हो गयी थीं कि अन्हें खोलना बन्द करना बड़ा कठिन था। रसोबीघरकी छत ही नदारद थी। फिर भी बाकीका मकान लम्जा-चौड़ा था और बरसातसे हमारा बचाव कर सकता था। हमारी यात्रामें हमें बादमें मालूम पड़ा कि यह भी अेक अंसा वैभव था, जो हमें आगे देखनेको नहीं मिल सकेगा।

नीलकंठ महादेवका छोटासा मंदिर दो छोटे पहाड़ी झरनोंके संगम पर बना हुआ है। अुसके तीनों तरफ अूंची पहाड़ियां खड़ी हैं। यिसके मकानमें हम ठहरे थे, वह मुख्य झरनेकी दाहिनी तरफ सी गजकी अूंचाओं पर पहाड़की अेक बाजूको काटकर समतल बनायी हुयी जमीनके छोटेसे टुकड़े पर खड़ा था। वहांसे मन्दिरके आसपास खड़े छोटे-छोटे झोंपड़ोंके छप्पर दिखाओ देते थे। अुनके आसपास सधन झाड़ी थी। नीलकंठका मंदिर अेक पुराने पीपलके बाहुपाशमें जकड़ा हुआ था।

योग्य स्थानकी खोज

मैंने तुरन्त आश्रमकी शाखा खोलनेके लिये आसपास योग्य स्थानकी खोज करना शुरू किया। लेकिन यह आसान काम नहीं था। यद्यपि ये पहली पर्वत श्रेणियां बहुत अूंचीं (३००० से ५००० फुट) नहीं हैं, लेकिन वे अेकदमं सीधी हैं। अुनके नीचे गहरी धाटियां हैं। वहां शायद ही कोओी जमीनका समतल हिस्सा या समतल रास्ता देखनेको मिलता है। पहले में खूब चल सकती थी, लेकिन अब ५८ सालकी अूमरमें यिन सीधी चढ़ाओवाले रास्तों पर चढ़ना मुझे कठिन मालूम हुआ। मानको मैंने वापिस पशुलोक भेज दिया था, क्योंकि यहां अुसके रहने या चरने लायक कोओी जगह नहीं थी; यिसके अलावा, आजकल अुसके सामनेके पांव यितने मजबूत नहीं रह गये थे कि वह सीधी चढ़ाओवाले पहाड़ी रास्तों पर चढ़ सके। फिर भी नक्षा देखकर और पासकी पहाड़ियों परसे चारों तरफ नजर दीड़ाकर मैंने आसपासके प्रदेशकी स्पष्ट कल्पना कर ली। आसपासके गांवोंसे ग्रामवासी भी आने लगे थे। हरेक समझाता कि अुसका गांव आश्रमकी स्थापनाके लिये कैसा आदर्श स्थान है। यिस बातसे खुशी होती थी, लेकिन बहुत लाभ नहीं हुआ।

किसानोंकी समस्यायें

दिन प्रतिदिन में जैसे-जैसे आसपासके प्रदेशका निरीक्षण करती गजीं और ग्रामवासियोंकी बातें सुनती गयी, वैसे-वैसे कितनी ही बातोंका मुझे विश्वास होता गया। सबसे ज्यादा ध्यान खींचनेवाली बात यह थी कि गांवबालोंको सरकारकी तरफसे कोओी व्यावहारिक मदद या गार्डकर्नन नहीं मिलता था — वे केवल सरकारका कर भरते थे और बदलेमें परेशानियां बुढ़ाते थे। मैदानोंमें मुझे जो महसूस होता था, वही यहां यिन पहाड़ियोंमें दूने वेगसे महसूस हुआ; वह यह कि गांवके लोग सरकारके कारण नहीं बल्कि अुसके कारण होनेवाली परेशानियोंके बावजूद अपना जीवन किसी तरह बिताते ह।

हिमालयके समस्त प्रदेशमें सीड़ियोंकी तरह अेकोके अूपर अेक फले हुओं खेतोंमें खेतीका सारा कामकाज होता है। चावलके खेत तो अच्छी तरह बने होते हैं, लेकिन दूसरे यितनी बुरी तरह बनाये जाते हैं कि हरसाल अुनकी मिट्टी बरसातमें धूलती जाती है और जगह-जगह खेद और खाइयां बढ़ती जाती हैं। यिन खेतोंको तैयार करना और

अुनकी मरम्मत करना बड़ा कठिन होता है और किसानोंके गरीब और अुपेक्षित होनेसे हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। नीलकंठके आसपासके प्रदेशमें अुनके गृहअद्योगोंकी हालत भी अच्छी नहीं है। हाथकताओं और हाथ-बुनाओंकी अुपेक्षा की जाती है। आधुनिक रहन-सहनवाले मैदानी प्रदेशके लोगोंके गाढ़ सम्पर्कमें आनेके कारण निचले पहाड़ी प्रदेशमें रहनेवाले लोगोंकी मेहनत करनेकी ताकत और कामकी लगन भी खत्म हो गयी है। ये किसान नीचे हरद्वार और देहरादूनकी चमकती हुयी बिजलीकी बत्तियां देखते हैं और पर्तिगोंकी तरह आगमें गिरकर अपना नैतिक और शारीरिक ह्वास कर लेते हैं।

यहांके पहाड़ोंकी गायोंकी दूध देनेकी शक्ति जितनी कम हो गयी है कि अब वे रोजाना आधा सेरेसे ज्यादा दूध नहीं देतीं। जो गाय दो सेर दूध देती है, वह बहुत अच्छी मानी जाती है। यिसका खास कारण यह मालूम होता है कि यिस प्रदेशमें अच्छे सांड़ोंकी कमी है। जो स्थानीय सांड़ मैंने यहां देखे, वे बहुत छोटे थे—वे मैदानी प्रदेशके १५ माहके बछड़ेसे बड़े नहीं थे।

बकरीके बच्चेका करण अन्त

जिस मकानमें हम लोग ठहरे थे, अुसके सामनेकी सीधी पहाड़ी पर चौकीदारकी अेक छोटी झोंपड़ी और सीड़ियों जैसे खेत थे। मैं परिवारके लोगोंको आते-जाते देखा करती थी। मेरा ध्यान बकरीके अेक छोटे बच्चेकी तरफ खास करके आकर्षित हआ, जो झोंपड़ीके सामने रस्सीसे बैंधा रहता था। वह घरके बच्चोंके साथ खेला करता था। और अपने मालिकोंसे बहुत हिल गया था। जब सारा परिवार खेतोंमें काम करनेको बाहर चला जाता था, तब वह बच्चा जोरसे बैंचें चिल्लाता और अुनके लौटने पर बड़े आनन्दमें अुनका सत्कार करता था। अेक दिन मैंने चढ़कर अस झोंपड़ी तक जानेका सोचा और मनमें कहा — “मैं बच्चेके लिये थोड़ा चना ले जाऊंगी और अुसके साथ थोड़ी देर खेलूंगी।” लेकिन अेक-दो दिन बाद अुसकी आवाज वहां नहीं सुनायी दी और वह दिखाओ भी नहीं दिया। अुस शामको स्वामीजी और भवानीसहने धूमकर लौटनेके बाद बताया कि ज्वौकीदारके परिवारसे रास्तेमें अुनकी भेट हो गयी, जो पासके भवेनेश्वरी देवीके मंदिरसे टोकरीमें बकरीके बच्चेके अवशेषोंको लेकर लौट रहा था! मांसकी दावत अुड़ानेके पहले अन लोगोंने देवीके सामने अपने छोटे दोस्तकी बलि चढ़ाओ थी! अन पर कोष करना बेकार है। अगर हमारे यितने नजदीक रहनेवाले लोग भी अभी तक पश्चाल देनेमें अन्ध-श्रद्धा रखते हैं, तो यह हमारा दोष है; हमें अन लोगोंमें जाग्रत भावनायें और विश्वास फैलाकर असे रिवाजोंको बन्द करनेका ठोस प्रयत्न करना चाहिये।

पवित्र स्थानोंकी तुरंगा

दुर्भाग्यसे हम असे समय नीलकंठ आये थे, जब वहां तीर्थयात्राका मौसम चल रहा था। रविवार और सोमवारके दिन वह जगह यात्रियोंसे खचाखच भर जाती थी। कभी-कभी अुस छोटीसी घटीमें दो सौसे अूपर यात्री जिकट्ठे हो जाते थे। मन्दिरके पासकी धर्मशालामें जब यात्रियोंकी भीड़ बहुत बढ़ जाती, तो बच्चे हुओं लोग हमारे पासके मकानमें आ जाते। सबसे बुरी बात तो यह है कि वहां सफाओंकी कोओी व्यवस्था नहीं थी और जब तक सारी गन्धगी धूल जानेके लिये पानीकी दो-चार तेज बीछारें नहीं गिर जातीं, तब तक बाहर पांव रखना अशक्य हो जाता। यह दुर्दशा कोओी नीलकंठी ही नहीं है, बल्कि अुत्तरांचलके सारे मंदिरों और तीर्थयात्राके मार्गोंकी यही हालत है। दूसरे प्रदेशोंकी तरह यिन हिस्सोंके तथाकर्षित धर्मके रक्षक और सेवक भी भक्तोंके दानोंसे प्राप्त होनेवाली अपार सम्पत्ति विकटी करते हैं। लेकिन यिस सम्पत्तिका क्या होता है? अुसका बहुत थोड़ा भाग यात्रियोंकी सुख-सुविधाके लिये या पवित्र मन्दिरोंकी

शुद्धि और श्रृंगारके लिये खर्च किया जाता है। धर्मशालायें बहुत कम हैं, सफाईकी कोओ व्यवस्था नहीं है और पवित्र मंदिरोंके आसपासकी जगह सुन्दर फूलों और फलोंसे नहीं सुशोभित की जाती — जैसी कि की जानी चाहिये; अिसके बदले वहां चारों तरफ मैला खिलरा होता है, पेशाबकी असह्य दुर्गम्भी आती है; साथ ही, न वहां पवित्रताका वातावरण होता, न वैदिक मंत्रोंका अद्विष्ट; न आत्माको अूचा अठानेवाली विधि-अनुष्ठान होते, न धर्मशास्त्रोंका पठन-पाठन। वहां होता है केवल मनमाना शोरगुल, और कुछ नहीं। जो लोग पवित्र स्थानोंकी अिस दुर्शाके लिये जिम्मेदार हैं, वे कभी यह कहते नहीं थकते कि 'हिन्दूधर्म खतरेमें है'। हिन्दूधर्मको सबसे बड़ा खतरा अिन्हीं धर्मके ठेकेदारोंसे है।

मच्छर, खटमल और रोग

जैसे-जैसे दिन बीतते गये, नीलकंठकी आबहवा ज्यादा-ज्यादा परेशान करनेवाली होती गयी। बादल बिलकुल हमारे सिरको छूने लगे, जोरोंकी वर्षा होने लगी और अूपरसे मच्छर और खटमल भी सताने लगे। किसीकी तबियत अच्छी नहीं रहती थी। कृष्णमूर्ति जितनी बार हमारे कैम्पमें आये, अुतनी बार पशुलोक लैटरें ही तेज बुखारके शिकार बने। आखिरकार अनुहोने कह दिया कि मुझे नीलकंठ आनेमें भी डर लगता है। मेरा स्वास्थ्य जो शुरूसे ही काफी खराब था, यहां आकर ज्यादा बिगड़ गया। आजकल कामकाजका ज्यादा बोझ पड़ता है या आबहवा मेरे अनुकूल नहीं होती या दोनों बातें अक साथ अिकट्ठी हो जाती हैं — और नीलकंठमें ऐसा ही हुआ — तो मेरा सिर जोरोंसे दर्द करने लगता है और ऐसा लगता है मानो मैं बीमार पड़ गयी हूँ। नतीजा यह होता है कि मैं बहुत कमजोर हो जाती हूँ। नीलकंठमें अेके बाद अेक मुझ पर अैसे तीन हमले हुए, और आखिरी तो बड़े जोरोंका हुआ। अब यह साफ मालूम हो गया था कि नीलकंठ आश्रमकी शाखाके लिये अुपयुक्त स्थान नहीं है, और हम सबको महसूस हुआ कि यह स्थान जितनी जल्दी छोड़ दिया जाय, अुतना ही अच्छा। लेकिन जायें कहां और अैसे मौसममें वहां पहुँचें कैसे?

(अंग्रेजीसे)

भीरा

बहादुरकी अहिंसा

अेक गांवकी सीमा पर हम थोड़ी देर ठहरे। यह गांव हमारे रास्तेमें पड़ता था। अिसलिये अुसके बारेमें विस्तारसे जानकारी पानेका लोभ हो आया। ज्यों ही ठहरे कि तुरन्त गांवके लोग दोड़कर हमारे पास आये। दो-चार आदमी तो मानो पलभरमें हमारे पास पहुँच गये। हमने अुससे थोड़ी पूछताछ की। समय हो रहा था, अिसलिये हमने फिर चलना शुरू किया। गांवके लोगोंमें से कुछने दूरसे हमारा स्वागत किया। कुछ लोग हमारे साथ चलने लगे। अेक कुआं आया। अुसके पासकी जमीन धंस गयी थी, अिससे कुआंको भारी नुकसान पहुँचा था। अुसका वर्णन चल रहा था। अितनेमें अेक आदमीकी तरफ हमारी नजर गयी। अुसके हाथकी अंगुलियां कटी हुबी मालूम होती थीं। हमे पूछे अुससे पहले ही अुस 'भावीने अपनी रामकहानी शुरू की। अेक दृष्टिसे वह बात छोटी थी; दूसरी दृष्टिसे बड़ी थी। 'जिलाकर जीओ' अिस सूत्रके बनिस्वत 'मरकर जिलाओ' यह सूत्र ज्यादा मूल्यवान है। आज अणुबम या अुससे भी ज्यादा भयकर हथियारों पर श्रद्धा रखनेवाले देश लोकशाही और मानवताकी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। भारत जब न्यायका पक्ष लेकर तटस्थ रहता है, तब अुसकी हंसी अुड़ते हैं। अैसी स्थितिमें अेक गांवमें घटी हुबी छोटीसी घटना भी हममें कितनी बड़ी आशाका संचार कर देती है!

बात यह थी कि अेक शिकारी अेक मनोहर मोर पर अपनी बन्दूकका निशाचा लगा रहा था। अितनेमें अेक करुण चित्कार

सुनायी दी। "ठहरो भाबी, ठहरो! तुम अपने शौकके लिये अिस निर्दोष, निरीह प्राणीको क्यों मारते हो?" शिकारीकी बन्दूक हिल गयी। अुसके हृदयको गहरा आघात लगा। लेकिन अुसका असर थोड़ी देर ही टिका। अुसने फिरसे बन्दूक तानी और निशाना लगाया। वह बोलनेवाला नजदीक आ गया और कहने लगा: "मुझमें प्राण हैं, तब तक मैं अिस मोरको नहीं मरने दूँगा।" यह बोलनेवाला गांवठी आदमी था। ठाकरड़ा (आजकल क्षित्रिय ठाकुर कहलानेवाली) नामकी हल्की मानी जानेवाली जातिका वह अेक सीधा, भोलाभाला आदमी था। वह न तो किसी बड़ी संस्थाका सदस्य था, न वह कोओ अर्हसाका झंडावारी सैनिक था। वह तो अेक साधारण मनुष्य था। कूदते-खेलते मोरकी अिस बिना कारण होती हुबी हृत्याको देखकर अुसके भीतरकी आत्मा तिलमिला अठी थी। वह शिकारी भी कोओ साधारण आदमी नहीं था। वह गुस्सेसे जल रहा था। अैसे मनपसन्द शिकारको मारनेमें गांवके अैसे मायूली आदमीके रुकावट डालनेसे रुक जाना अुसे स्वाभिमानके खिलाफ मालूम हुआ। अुसका अहं अिसे सह न सका। अुसने चुनौती देते हुबे कहा: "अे बेवकूफ, हट जा सामनेसे। वर्ना अपनेको मरा हुआ ही समझ लेना।" बस फिर क्या था? वह बहादुर ग्रामवासी अुसकी बन्दूक और मोरके बीच आकर खड़ा ही गया और बोला: "चलाओ बन्दूक।" और बन्दूक छूटी। मोर बच गया और वह आदमी गोलियोंसे छिद गया। शिकारी हारा बितना ही नहीं, बल्कि निष्प्राण जैसा हो गया। अुसके पश्चात्तापका पार न रहा। लेकिन अब क्या हो सकता था? बन्दूक तो छूट चुकी थी। दूसरा कोओ होता तो अिस घटनासे होनेवाली प्रतिक्रियासे पहले ही भाग जाता। लेकिन वह शिकारी नहीं भागा। वह अुस ग्रामवासीकी भक्तिपूर्ण हृदयसे सेवा करने लगा। गांवके लोग दौड़ कर आ पहुँचे। छर्रे तो बहुतसे लगे थे। लेकिन सौभाग्यसे वह बहादुर ग्रामवासी बच गया। अुसने अुत्तेजित बने हुबे अपने गांवके लोगोंको ठण्डा किया। शिकारीके दिल पर अिसका गहरा असर क्यों न हो? धायल हुआ साधारण मनुष्य अुसे कितना महान लगा होगा! धायल मनुष्यने शिकारीको बिदा किया। शिकारी गया और धायलकी सार-संभालके लिये पैसे देता गया। धायल थोड़े ही समयमें अच्छा हो गया। अंगुलियां, हाथ वगेंरा पर छर्रोंके निशान रह गये। वे निशान 'अर्हसकके जीवन' के जीते-जागते प्रतीक ही थे न?

मैंने सोचा, कुदरत कितनी रहस्यमयी है! शहरमें अेसा हुआ होता, तो अिस कहानीके बहादुर नायककी अखबारोंमें कितनी तारीफ होती, अुसकी बहादुरीका कैसा आकर्षक वर्णन छपता! लेकिन अिस बहादुर ग्रामवासीके लिये अैसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। गांवोंमें अैसे कितने ही रत्न छिपे पड़े होंगे! हमारे कुछ देरके लिये रुक जानेसे कितना लाभ हो गया! अैसा सोचते हुबे हम आगे बढ़े।

('विश्ववात्सल्य' गुजराती साप्ताहिकसे)

सन्तवाल

आसाम भूकंप राहत कोष

[ता० ५-३-'५१से १०-३-'५१ तक]

नाम और स्थान	रु० आ० पा०
मांगरोलके लोगोंकी तरफसे	मांगरोल १०-०-०
- द्वारा श्री जमशेदजी	
श्री मजूरमहाजन संच	सिद्धपुर ९५८-०-०
" जीवणलाल गोरखनदास शाह	पंडोली १०-०-०-०
पहुँच दी जा चुकी रकम	२८,२०३-१०-३

अेक बेढंगी योजना

अखबारोंमें हाल हीमें अेक योजना प्रकाशित हुवी है कि दिल्लीमें १२००० वर्गफुटके घेरेमें लगभग ११० फुट अूची और आजकलकी सारी सुविधाओंसे पूर्ण अेक बड़ी विभारत बनायी जाय। यिस भवनका बाहरी आंकार, सीमेंट और पत्थरसे बांधी गयी अेक बड़ी विभारतके लिये जिस हद तक यह संभव हो, चरखा कातते हुये गांधीजी जैसा होगा। विभारतके रूपमें गांधीजीकी यह विकृति, या गांधीजीके रूपमें विभारतकी यह विकृति बिलकुल ही निर्यक न दिखे, यिसलिये यह सुझाया गया है कि अुसे गांधीजीके स्मारककी तरह बनाया जाय और अुसमें अुनके सब अवशेषों, चिट्ठी-पत्री, और साहित्य आदिका संग्रह किया जाय। अुस पर अनुमानसे ४०-५० लाख रुपया खर्च होगा। अगर खबरका विश्वास किया जाय तब तो अधिकारियोंने यिस योजनाको मंजूर भी कर लिया है, और अुसके लिये जगह भी चुन ली है।

मुझे खेद है कि में यिस विचारको पसन्द नहीं कर सकता। गांधीजीकी शिक्षा और अुनके सन्देशसे यिसका कोणी मेल नहीं है। यह तो पैसेकी बरवादी है, खासकर यिस कठिन कालमें यह खर्च किसी भी सार्वजनिक निविसे नहीं किया जाना चाहिये, गांधीजीकी स्मारक निविसे तो हररंगज नहीं। गांधी-निविस अूपयोग कितने ही रचनात्मक कामोंके लिये किया जा सकता है, जिन्हें पैसेकी बहुत जरूरत भी है। यिस निविसोंका पैसा खर्च करनेके लिये अैसी बेढंगी, भद्दी और खर्चाली योजनाओंकी जरूरत नहीं है।

यिसका आशय यह नहीं है कि गांधीजीके कागज-पत्र वगौरा, गांधी-साहित्यके पुस्तकालय, या शोष-कार्यके लिये किसी भवनकी आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन गांधी-स्मारक-भवन आदर्श, सादगी और अूपयोगितापूर्ण सुन्दरताका नमूना होना चाहिये। वह किसी मनमानी विचित्र सुन्दरताका नमूना हो, और अुस पर अैसा बेहिसाब खर्च हो, यह बात असह्य है। मैं अूम्मीद करता हूं कि यह विचार छोड़ दिया जायगा।

वर्षा, ६-३-'५१
(अंग्रेजीसे)

कि० घ० मशरूवाला

सवाल—जवाब

पशु-बलिदान

सवाल — निम्बाहेड़ा गांवसे छः कोस पर आवरा माताजीके स्थान पर नित्य ही बकरोंका बलिदान होता रहता है। नवरात्र और भेलेके समय विशेष। वहांके अधिकांश सवर्ण लोग यिसके पक्षमें नहीं हैं। धर्मके नाम पर होनेवाले यिस बलिदानको रोकनेके लिये अेक समितिका निर्माण किया गया है। वह लोकमत तैयार करेगी और राजस्थान सरकारसे बलिदान बन्द करवानेका प्रयत्न करेगी। यह अुचित है या नहीं?

जवाब — पशु-बलिदानके विशद्ध लोकमत अवश्य तैयार करें। लेकिन मेरी रायमें सरकारसे बलिदान बन्द करवानेका प्रयत्न न करना चाहिये। यदि सरकार आहारके लिये पशुवधको रोक नहीं सकती, तो धर्मके नाम पर होनेवाले बलिदानको भी कानूनसे रोकना ठीक नहीं। हमें यह याद रखना चाहिये कि जो यिसका आहार करता है, अुसका ही बलि चढ़ाता है। यिसलिये बलिशुद्धिके पहले आहारशुद्धि होनी चाहिये।

वर्षा, २४-२-'५१

कि० घ० मशरूवाला

महादेवभाषीका पूर्वचरित

ले० — नरहरि परीख

अनु० — रामनारायण चौधरी

कीमत ०-१४-०

छाकखर्च ०-३-०

निष्ठजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-९

विनोबाकी पैदल यात्रा

विनोबा कल प्रातःकाल (ता० ८ मार्च) पवनारसे शिवराम-पल्ली, (हैदराबाद) जानेके लिये निकल रहे हैं। वे पैदल यात्रा करेंगे और शिवरामपल्लीमें राष्ट्रीय सप्ताहके दिनोंमें जो सर्वोदय सम्मेलन हो रहा है अुसके पहले वहां पहुंच जायेंगे। यह निर्णय अुन्होंने कल सर्व-सेवा-संघकी अेक बेठकमें किया, जहां अुन्से यह आग्रह किया गया कि यदि सम्मेलनको भाषणों और पैसेकी बरवादीका अेक तमाशा नहीं बनने देना है, तो यह जरूरी है कि वे अुसकी रहनुमानीका बोझ अठायें। अुन्होंने लोगोंकी यिस दलीलका बल महसूस किया और चूकि वे वाहनको अपयोग नहीं करना चाहते, अिसलिये अुन्होंने पैदल जानेका निश्चय कर लिया। यिस निर्णयका सबने स्वागत किया, क्योंकि यिससे हजारों ग्रामवासियोंको सर्वोदयका सन्देश अुनके मुहसे सुननेका अवसर मिलेगा। अुन्हें लगभग ३०० मील चलना होगा और यिस सिलसिलेमें मध्यप्रदेश तथा हैदराबाद रियासतके कठी जिलोंसे वे गुजरेंगे।

मैं नहीं कह सकता कि सम्मेलनमें क्या चर्चायें होंगी। लेकिन अेक सन्देश है जिसका प्रचार करनेकी विनोबाकी तीव्र अच्छा है, और जिससे वर्चके सारे रचनात्मक कार्यकर्ताओंकी सहमति है। १२ फरवरीके दिन आजकल देशभरमें यहां वहां सर्वोदय मेले भरते हैं। सर्वोदय-विचारमें यिसकी श्रद्धा है, और हरओंके व्यक्तिको चाहिये कि अुसमें अपने हाथ-कते सूतकी अेक गुंडी दे। अेक आदमी अेक गुंडी, वह मानो सर्वोदयके पक्षमें अपना मत जाहिर करनेका तरीका है। जो लोग सर्वोदयकी सफलताके लिये काम करनेकी अच्छा रखते हैं, अुनके लिये यह अेक काम है। यिसके प्रचारमें वे अपना योग दें। यह सन्देश हर गांव, और शहरमें और अुनके हर घरमें पहुंचना चाहिये। और कार्यकर्ताओंको देखना चाहिये कि अुस पर पूरा अमल हो।

अुनके यिस प्रवासका हाल हम समय-समय पर विस्तारपूर्वक जाननेके लिये अुत्सुक रहेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान अुनकी यिस यात्रामें अुनके पथ-प्रदर्शक और रक्षक हों।

वर्षा, ७-३-'५१
(अंग्रेजीसे)

कि० घ० मशरूवाला

हमारा नया प्रकाशन

सर्वोदयका सिद्धान्त

संसारके सौरे भागोंके लोग गांधीजीके जीवन और विचार-धारामें, खासकर जनवरी १९४८ में अुनके निवाणिके बादसे, दिनोंदिन ज्यादा रस ले रहे हैं। वे गांधीवादी जीवन-पद्धतिके बारेमें अधिकांशक जानना चाहते हैं, जो अनेक लोगोंके विचारसे दुनियाकी आजकी संकटपूर्ण स्थितिमें से बच निकलनेका अेकमात्र मार्ग है। सर्वोदय गांधीवादी जीवन-पद्धतिका केवल दूसरा नाम है।

आशा है यह छोटीसी पुस्तिका सर्वोदयके सिद्धान्त और कार्यक्रमके बारेमें जिज्ञासु लोगोंके लिये सहायक सिद्ध होगी।

कीमत ०-१२-०

डाकखर्च ०-२-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-९

विषय-सूची

	पृष्ठ
"शराब आमद समिति"	मगनभावी देसावी १७
अब्जाका अुत्पादन बढ़ानेकी अेक योजना	श्रीमन्नारायण अग्रवाल १८
लोक-संपत्तिका आदर्श रक्षक	जगदीशप्रसाद १९
हाथ-अद्योग और यंत्र-अद्योगोंका मेल - १	कि० घ० मशरूवाला २०
सामूहिक खेतीके खिलाफ	कि० घ० मशरूवाला २१
हिमालयके सबक - २	मीरा २२
बहादुरकी अद्विसा	सन्तबाल २३
जासाम भूकंप राहत कोष	कि० घ० मशरूवाला २३
अेक बेढंगी योजना	संवाल-जवाब २४
सर्वोदयका पैदल यात्रा	विनोबाकी पैदल यात्रा २४